प्रेषक,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक: 16 अक्टूबर, 2017

विषयः- ई-डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्जेज) के रूप में प्राप्त की जा रही धनराशि के व्यय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1110/78-2-2014-53आईटी/2012, दिनांक 01.10.2014 के बिन्दु संख्या-3.2.3 एवं 3.3.2 में एतद्द्वारा निम्नवत् संशोधन किया जाता हैः-

क्र0	शासनादेश दिनांक 01-10-2017	पूर्व व्यवस्था	एतदद्वारा संशोधित व्यवस्था
1-	बिन्दु 3.2.3	योजना से संबंद्ध कार्मिकों के यात्रा/टैक्सी, मानदेय/ पुरस्कार आदि पर व्यय	योजना से संबंद्ध कार्मिको के परिश्रमिक/ यात्रा/ टैक्सी, मानदेय/ पुरस्कार इत्यादि पर व्यय
2-	बिन्दु 3.3.2	किसी आवर्ती व्यय (रेकरिंग) की देयता का स्थायी रूप से सृजन	आवर्ती व्यय (रेकरिंग) की देयता का स्थायी रूप से सृजन (प्रत्येक जनपद में एक ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के मानदेय/ पारिश्रमिक को छोड़कर)

2- ई0डी0एम0 का कार्यकाल पूर्णतः संविदा के आधार पर बढ़ाया जायेगा। अतः जनपदों में किसी ई0डी0एम0 को स्थायी नहीं किया जायेगा। अतएव ई0डी0एम0 को अपने स्थायीकरण के लिए कोई अधिकार नहीं होगा।

3- जनपद में ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तैनाती की अवधि 3 वर्ष पूर्व हो जाने (भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष) के उपरान्त दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक की विस्तारित अवधि में दी गयी सेवायें का भुगतान अनुमन्य होगा तथा देय भुगतान का समायोजित करने के उपरान्त अगर वेतनमद में कोई भुगतान अवशेष है तो संबंधित डीईजीएस द्वारा यूजर चार्जेज के डीईजीएस अंश से उसका भुगतान किया जा सकता है।

4. उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश की अन्य शर्ते/व्यवस्था यथावत रहेगी।

भवदीय,
डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।
2. राज्य समन्वयक, सेंटर फार ई-गवर्नेन्स, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।